डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय,
(राज्य विश्वविद्यालय, म.प्र. शासन)
डॉ. अम्बेडकर नगर (महू)–453441 जिला–इन्दौर (म.प्र.),

Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences,
(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow)-453441 Dist-Indore (MP)

क्रमांक : ब्राउस / कुलसचिव / 2021 / 2035 दिनांक : 27.03.2021
30

अधिसूचना

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू के पीएच.डी. शोधार्थियों के स्थानांतरण के संबंध में राजभवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 278 / रास / यू.ए.–6 / 2020 दिनांक 09 मार्च 2021 के परिपालन में प्रकरण विश्वविद्यालय कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 23.03.2021 के विषय क्रमांक 23.5 में प्रस्तुत किया गया, राजभवन के उपरोक्त पत्र अनुसार प्रकरण में सम्पूर्ण तथ्यो से कार्यपरिषद् निम्नानुसार अवगत हुई :–

1. विश्वविद्यालय के वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के कोर्स वर्क उत्तीर्ण कुल 255 शोधार्थियों में से इस समय 200 शोधार्थी आर.डी.सी. के उपरान्त पी.एचडी. कर रहे हैं और ब्राउस के अथक प्रयासों के बावजूद कुल 51 शोधार्थी जिन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों में स्थानांतरण होने के बावजूद प्रवेश नहीं लिया, सिर्फ इन्हीं शोधार्थियों के पीएच.डी. प्रवेश का निराकरण नहीं हो सका है।
2. पत्रकारिता विषय के 04 शोधार्थी जिनका स्थानांतरण शोध निदेशक न मिलने के कारण नहीं किया जा सका उनके संदर्भ में राजभवन के पत्र क्रमांक 278 / रास / यू.ए–6 / 2020 दिनांक 09 मार्च, 2021 पत्र की कण्डिका 04 के निर्देशानुसार पत्रकारिता विषय के शोध निदेशक देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में उपलब्ध होने से 04 शोधार्थियों की आर.डी.सी. कराये जाने हेतु दिनांक 19.03.2021 को पत्र प्रेषित किया गया है।
3. यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 10 के अनुसार पीएच.डी. पंजीयन जीवित रहने की समय सीमा अधिकतम 6 वर्ष होने के कारण, जिन शोधार्थियों की आर.डी.सी. आज दिनांक तक नहीं हुई है, उनके संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर आगामी कार्यवाही की जाना संभंव नही है।

कार्यपरिषद् द्वारा समन्वय समिति और राज्य शासन के निर्णयों के अनुपालन में ब्राउस के द्वारा शोधार्थियों के हित में किये गये अथक प्रयासों की प्रशंसा की गई। कार्य- परिषद् द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि समन्वय समिति के निर्णय के परिपालन में राजभवन द्वारा जारी निर्देशो एंव ब्राउस तथा अन्य सभी संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा किये गये गंभीर प्रयासो के उपरान्त भी, ऐसे शोधार्थी जो स्थानान्तरित विश्वविद्यालय में प्रवेश / आर.डी.सी. हेतु उपस्थित नही हुए, उनके प्रकरण अन्तिम रूप से नस्ति बद्ध किये जायें।

(कुलपति महोदय से अनुमोदित)

कुलसचिव

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राज्यपाल का सचिवालय, राजभवन भोपाल की ओर पत्र क्रमांक 278 / रास / यूए–6 / 2020 दिनांक 09 मार्च 2021 के संदर्भ में प्रेषित।
2. कुलपति के निजी सचिव की ओर मान. कुलपति महोदया के सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त डीन, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
6. नोटिसबोर्ड :– वेबसाईट, प्रशासनिक भवन, संकाय भवन, पुस्तकालय भवन।

कुलसचिव